न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **112/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

नारायण लाल पिता जगुराम गुर्जर निवासी लापी का बाडिया (झालरा) पोस्ट रघुनाथपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.01.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 13.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 933076 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.11.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 13.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा पत्रांक/रीडर/2019/94 दिनांक 18.01.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 02.11.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आसीन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी नारायण गुर्जर स्वयं को उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध होने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा